न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./153/2024

1. नारायण पुत्र बीरमा जाति बैरवा निवासी धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजू पुत्र पांचू जाति भांबी निवासी गणेशपुरा , धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गोपाल पुत्र गणेश
3. पन्ना पुत्र बालू
4. मांगीलाल पुत्र बालू
5. हीरा पुत्र बालू
6. कुनणा पुत्र हजारी
7. हरि पुत्र जवारा
8. प्रधान पुत्र हरजी
9. लालाराम पुत्र हरजी जाति बैरवा निवासी धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. कैलाश पुत्र चतुर्भुज जाति खटीक निवासी टांटोटी तहसील टांटोटी जिला अजमेर
11. रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन जाति खटीक निवासी जोतायां तहसील टांटोटी जिला अजमेर
12. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.12.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शम्मी मोहम्मद
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा धांतोल पटवार क्षेत्र धांतोल भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 173 में दर्ज खसरा नं. 2230/2580 रकबा 0.53 और खसरा नम्बर 2437/2855 रकबा 1.62 कुल किता 02 कुल रकबा 2.15 हैक्ट0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 11, द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 12 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्राथी संख्या 01 लगायत 09 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्राथी संख्या 01 लगायत 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 10 तथा 11 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर, प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट, पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी अंकित की। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

य को नोटिस तामिली के उपरान्त जवाब बाबत् समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब सरकार प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब सरकार बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम धांतोल के खाता संख्या 173 संवत 2072–2075(जमाबन्दी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा धांतोल पटवार क्षेत्र धांतोल भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 173 में दर्ज खसरा नं. 2230/2580 रकबा 0.53 और खसरा नम्बर 2437/2855 रकबा 1.62 कुल किता 02 कुल रकबा 2.15 हैक्ट0** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर